न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 94/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मंजु देवी पत्नि कन्हैयालाल माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 नारायण आत्मज हीरा तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3 गोपाल आत्मज हीरा तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4 श्रीमती चन्द्री पत्नि हीरा तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगारामदास आत्मज मिश्रीदास रंगास्वामी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. छगनदास आत्मज मिश्रीदास रंगास्वामी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गोकलदास आत्मज मिश्रीदास रंगास्वामी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भोलुदास आत्मज मिश्रीदास रंगास्वामी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. भंवरसिंह आत्मज कुन्दनसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6 गणपतसिंह आत्मज शिवसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7 माहनी पत्नि नारायण गाडरी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8 सुशीला पुत्री मांगीलाल खटीक निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9 बदामी बेवा मांगीलाल खटीक निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1159/538 रकबा 0.0650 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 152 पर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1145/519 रकबा 0.0260 हैक्ट., आराजी संख्या 1147/530 रकबा 0.0240 हैक्ट., आराजी संख्या 1149/531 रकबा 0.02 हैक्ट., कुल किता 3 कुल रकबा 0.0760 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 151 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक खाता 152,151 मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षणीगण संख्या 1 लगायत 7 उक्त आराजियात के पड़ौसी होन से एवं विपक्षी संख्या 8 एवं 9 सहेखातेदार होंने से तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण बनने से इनकार करने से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाया गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षरीगण को

कई मर्तबा उक्त आराजियात की की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा लेकिन वपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 16.08.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.09.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1159/538 रकबा 0.0650 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 152 पर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1145/519 रकबा 0.0260 हैक्ट., आराजी संख्या 1147/530 रकबा 0.0240 हैक्ट., आराजी संख्या 1149/531 रकबा 0.02 हैक्ट., कुल किता 3 कुल रकबा 0.0760 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 151 पर स्थित हैं। उक्त आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/– अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा